कार्यालय उमनि/निदेशक(दूरसंचार), पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल
व्ही.आई.पी. रोड़ इंदौर (म.प्र.) - ४५२००५

दूरभाष : ०७३१-२६१२७२१ ईमेल : dir_prts@mppolice.gov.in

क्रमांक : पुरेट्रेस्कूल/इं/उपुअ(रे)/बाह्रय प्रशि./ M-160 /25 दिनांक :14-12-/25

// आदेश //

इकाई में प्रशिक्षणत प्रशिक्षुओं के बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सामान्य निर्देशों के तारतम्य में प्रशिक्षुओं के अनुशासन, अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सामान्य निर्देशों के अंतर्गत प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षण निदेशालय, पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 12 आदेश क्रमांक पुमु/प्रशिक्षण/टी 6/2471/17 दिनांक 23/09/17 के अनुसार ब्रेक/अवकाश नियम निम्नानुसार है :-

(अ) बुनियादी प्रशिक्षण के अंतर्गत ब्रेक/अवकाश नियम :-

1. पुलिस वल एक अनुशासित बल है, अतः प्रत्येक प्रशिक्षु के लिये अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. समयबद्धता का सभी को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। साथ ही महिला प्रशिक्षु एवं अन्य साथी प्रशिक्षुओं को साथ सद्व्यवहार एवं शालीनता प्रदर्शित करना होगा।
3. नव आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण में 02 बार ब्रेक दिया जायेगा, जिसकी अवधि कुल 14 दिवस होगी।
4. बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान शैक्षणिक योग्यता बढाने वाली किसी भी परीक्षा के लिये अवकाश नहीं दिया जायेगा।
5. अकादमिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण सत्र के अधिकतम 10 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। यह लाभ उन्ही प्रशिक्षुओं को दिया जावेगा जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण में आमद से पूर्व फॉर्म भर चुके है (जिसका उन्हे प्रमाण देना होगा) प्रशिक्षण के दौरान अन्य किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।
6. आकस्मिक/अपरिहार्य परिस्थितियों में ही प्रशिक्षुओं को अधिकतम 05 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। कोर्स के दौरान आवश्यकता होने पर ही अवकाश लेवें। प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक समस्या अथवा आकस्मिक कार्य हेतु ही अवकाश दिया जा सकता है। अवकाश आकस्मिक परिस्थितियों में यथा स्वयं की शादी, कोई गंभीर बीमारी अथवा निकट रिश्तेदारी शोक अभिसप्त होने पर ही दिया जावेगा।
7. प्रशिक्षु को अवकाश मे जाने से पूर्व आवेदन में आवश्यक रूप से अवकाशकालीन पता/स्थायी पता, संपर्क करने हेतु मोबाईल नंबर की जानकारी दी जावेगी।

लगातार-2

Scanned with OKEN Scanner

8. बिना अनुमति गैरहाजिर होने पर प्रशिक्षु की जानकारी संबंधित इकाई प्रमुख एवं परिजन को दी जायेगी व उपस्थिति होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित/गैरहाजिरी उपरांत प्रशिक्षु द्वारा जब पुनः प्रशिक्षण संस्थान में आमद दी जाती है तो उसकी आमद के तत्पश्चात उसकी अनुपस्थिति के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

10. पूरे प्रशिक्षण सत्र में 30 दिवस की अधिकतम अवधि तक प्रशिक्षण से किसी भी कारण अनुपस्थिति होने पर प्रशिक्षु के विरूद्ध प्रारंभिक जॉच संस्थित कर प्रशिक्षु की इकाई वापसी की जावेगी तथा इकाई प्रमुख को प्राथमिक जॉच के आधार पर उसकी विभागीय जॉच आदेशित करने तथा जॉच उपरांत कदाचरण साबित होने की दशा में प्रशिक्षु की सेवा समाप्ति की कार्यवाही करने हेतु लेख किया जायेगा।

11. इनडोर क्लासेसे, आउटडोर प्रशिक्षण के दौरान मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कक्षा के दौरान उपयोग करते पाये जाने पर जब्त कर दण्डित किया जावेगा।

12. प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निजी वाहन रखना प्रतिबंधित है।

13. अवकाश के दिनों में छात्रावास से बाहर जाने हेतु गेट पास उप पुलिस अधीक्षक आउटडोर की अनुमति से ही दिये जावेगे।

14. सभी प्रशिणार्थि निर्धारित स्थलों पर बनाये गये स्नानगृहों में ही स्नान करेगे, खुले मे कोई भी स्नान नही करेगे, न ही अप्रिय हरकत करेगें।

15. प्रशिणार्थि क्लासरुम को साफ सुथरा रखे व उसमें लगे संसाधनों को सुव्यवस्थित रखने की जिम्मेवारी भी प्रशिक्षणार्थीयों की रहेगी। क्लास व्यवस्थापक, टोली लीडर के सहायक के रुप में एक मानीटर (रोटेशन से) लगाकर क्लास रुमों को सुव्यवस्थित रखना सुनिश्चित करेगें।

16. मैस, होस्टल एवं प्रशिक्षण प्रशासनिक परिसर में अनुशासन बनाये रखना एवं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करना निषेध है।

17. नाश्ता एवं दोनो समय का भोजन मैस के ही भोजन कक्ष में ही बैठकर करना होगा, भोजन मेस के बाहर ले जाने की अनुमति नही होगी। किसी प्रशिक्षणार्थी के ज्यादा बीमार होने पर ही उसके साथी उसका भोजन हॉस्टल में ले जा सकेगा। हॉस्टल मे भी बाहर का खाना लाकर खाना प्रतिबंधित है।

उक्त नियमों का पालन ना किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(ब) प्रशिक्षु के बीमार होने पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जाये :-

1. बीमार होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर 15वी वाहिनी विसबल इंदौर स्थित अस्पताल या एमवायएच जाकर व होस्टल में रहकर ही ईलाज कराना होगा। यदि डाक्टर द्वारा गंभीर बीमारी की स्थिति में बेडरेस्ट लिखा गया होगा तो ही परीक्षण उपरांत स्थिति अनुसार हॉस्टल में अथवा घर जाकर ईलाज कराने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

लगातार-3

Scanned with OKEN Scanner

2. 15 दिवस से अधिक बीमार/गंभीर बीमारी की स्थिति में उसका मेडिकल बोर्ड से कराया जावेगा। यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा उसे प्रशिक्षण के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे मूल इकाई वापिस किया जायेगा।

3. प्रशिक्षण मे बीमारी/विषम परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण से गैर हाजिर होने वाले प्रशिक्षुओं को समान स्तर पर लाने के लिये इनकी अतिरिक्त कक्षाये लगाई जावेगी अथवा इनकी प्रशिक्षण अवधि बढायी जावेगी।

4. जो प्रशिक्षु यूपीएससी/पीएससी या वर्तमान नियुक्ति से उच्च वरियता वाली सेवा की परीक्षा की तैयारी करना चाहते है वह नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही नियुक्तिकर्ता इकाई को आगामी बुनियादी प्रशिक्षण सत्र से छूट प्रदान करने हेतु आवेदन कर सकते है। यह छूट मात्र एक प्रशिक्षण सत्र के लिये दी जायेगी। बुनियादी प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के पश्चात यूपीएससी/पीएसी या अन्य किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी।

(आर.के. सिंह)भापुसे
उमनि/निदेशक
पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर

क्रमांक : पुरेट्रेस्कूल/इं/उपुअ(रे)/बाह्रय प्रशि./ /25 दिनांक : / /25

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस अधीक्षक, पु.रे.ट्रे.स्कूल इंदौर।
2. उपुअ(रे) प्रशासन/बाह्रय प्रशिक्षण, पु.रे.ट्रे.स्कूल इंदौर
3. निज सचिव टू उमनि/निदेशक, पु.रे.ट्रे.स्कूल इंदौर।
4. निरी.(रे) प्रशासन/कोर्स/आउटडोर/वर्कशॉप/भण्डार/कम्प्यूटर/एसआरसी, पु.रे.ट्रे.स्कूल इंदौर।

उमनि/निदेशक
पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर

Scanned with OKEN Scanner